लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 229

उत्तर देने की तारीख : 02.02.2021

लॉकडाउन के दौरान ट्रांसजेंडरों के लिए विशेष प्रबंध

229. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लॉकडाउन के समय यदि ट्रांसजेंडरों समुदाय के लिए कोई विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं तो उनका ब्यौरा क्या है;
(ख) लॉकडाउन के दौरान उक्त समुदाय को प्रदत्त वित्तीय सहायता, राशन अथवा अन्य सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो लॉकडाउन के दौरान उक्त समुदाय की उपेक्षा किए जाने के क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को उसकी आजीविका कमाने में सहयोग देने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करने की कोई योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख): कोविड-19 के दौरान, मंत्रालय ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को 1,500/- रूपए की राशि प्रदान की है। एनबीसीएफडीसी ने जिला प्रशासन के माध्यम से/की संस्तुतियों के आधार पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को राशन सप्लाई के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ट्रांसजेंडर समुदाय के 6,940 सदस्यों के सहायतार्थ 98.50 लाख रूपए का व्यय किया गया था, जिसमें 5,711 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को निर्वाह भत्ते के रूप में 85.66 लाख रूपए और 1229 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को दी गई 12.83 लाख रूपए की राशन किट शामिल है।

लॉकडाउन के दौरान इस समुदाय को राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

कोविड काल के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय को मनो-सामाजिक सहायतार्थ निःशुल्क हेल्पलाइन सहायता की स्थापना की गई है।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ड.): उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए स्कीम तैयार करना, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, इंटरेस्ट सबवेंशन, परामर्श, कौशल विकास, स्व-सहायता समूहों के लिए विशेष लाभ और वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

******

अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 से 2020-21 (लॉकडाउन काल) के दौरान ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को प्रत्यक्ष बैंक अतंरण के माध्यम से राज्य-वार अंतरित राशि एवं राशन सहायता

क्र.सं.	राज्य	डीबीटी का विवरण		राशन सहायता का विवरण		कुल योग	
		ट्रांसजेंडरों की संख्या	कुल अंतरित राशि (रूपए)	ट्रांसजेंडरों की संख्या	व्यय की गई कुल राशि - रूपए में	ट्रांसजेंडरों की संख्या	व्यय की गई राशि -रूपए में
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड.)	(च)	(छ) = (ग+ड.)	(ज)= (घ+ च)
1	आंध्र प्रदेश	118	177000			118	177000
2	अरुणाचल प्रदेश	31	46500			31	46500
3	असम	10	15000	94	141000	104	156000
4	बिहार	165	247500			165	247500
5	छतीसगढ	624	936000	72	108000	696	1044000
6	गोवा	31	46500			31	46500
7	गुजरात	150	225000			150	225000
8	हरियाणा	52	78000			52	78000
9	हिमाचल प्रदेश	2	3000			2	3000
10	जम्मू और कश्मीर (1) ++	8	12000			8	12000
11	झारखंड	86	129000			86	129000
12	कर्नाटक	561	841500			561	841500
13	केरल	172	258000			172	258000
14	मध्य प्रदेश	47	70500			47	70500
15	महाराष्ट्र	510	765000			510	765000
16	मणिपुर	189	283500	63	94500	252	378000
17	मेघालय	2	3000			2	3000
18	मिजोरम	8	12000			8	12000
19	नागालैंड	5	7500			5	7500
20	ओडिशा	218	327000			218	327000
21	पंजाब	216	324000			216	324000
22	राजस्थान	215	322500			215	322500
23	सिक्किम	1	1500			1	1500
24	तमिलनाडु	1036	1554000			1036	1554000
25	तेलंगाना	37	55500			37	55500
26	त्रिपुरा	1	1500			1	1500
27	उत्तर प्रदेश	119	178500	280	263200	399	441700
28	उत्तराखंड	7	10500			7	10500
29	पश्चिम बंगाल	814	1221000			814	1221000
30	चंडीगढ़	17	25500			17	25500
31	दिल्ली	158	237000	720	676800	878	913800
32	लक्षद्वीप	44	66000			44	66000
33	पुदुचेरी	57	85500			57	85500
	कुल	**5711**	**8566500**	**1229**	**1283500**	**6940**	**9850000**

*****